उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या– 72/2022

सतेन्द्र सोरेन बनाम् राज्य एवं दशरथ मॉझी वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
25.04.2023	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी सतेन्द्र सोरेन, पिता–शिवा मॉझी, सा०–पिपराजारा, पो०–बन्दा, थाना–गोला, जिला रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–04/2018–19 सतेन्द्र सोरेन बनाम दशरथ मॉझी वगै० में दिनांक–04.08.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215(5) C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–बन्दा खाता नं०–11 प्लॉट सं०–57, रकवा–0.60 ए०, प्लॉट नं०–62 रकवा–1.30 ए०, प्लॉट नं०–94 रकवा–0.33 ए०, प्लॉट नं०–95 रकवा–0.33 ए०, प्लॉट नं०–155 रकवा–0.43 ए०, प्लॉट नं०–156 रकवा–0.04 ए०, प्लॉट नं०–157 रकवा–0.03 ए०, प्लॉट नं०–158 रकवा–0.28 ए०, प्लॉट नं०–159 रकवा–1.04 ए०, प्लॉट नं०–181 रकवा–0.56 ए०, प्लॉट नं०–233 रकवा–0.03 ए०, प्लॉट नं०–234 रकवा–0.75 ए०, प्लॉट नं०–235 रकवा–0.24 ए०, प्लॉट नं०–236 रकवा–6.07 ए० कुल रकवा–11.93 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–बन्दा खाता नं०–11 प्लॉट सं०–57, रकवा–0.60 ए०, प्लॉट नं०–62 रकवा–1.30 ए०, प्लॉट नं०–94 रकवा–0.33 ए०, प्लॉट नं०–95 रकवा–0.33 ए०, प्लॉट नं०–155 रकवा–0.43 ए०, प्लॉट नं०–156 रकवा–0.04 ए०, प्लॉट नं०–157 रकवा–0.03 ए०, प्लॉट नं०–158 रकवा–0.28 ए०, प्लॉट नं०–159 रकवा–1.04 ए०, प्लॉट नं०–181 रकवा–0.56 ए०, प्लॉट नं०–233 रकवा–0.03 ए०, प्लॉट नं०–234 रकवा–0.75 ए०, प्लॉट नं०–235 रकवा–0.24 ए०, प्लॉट नं०–236 रकवा–6.07 ए० कुल रकवा–11.93 ए० भूमि सर्वे खतियान में कोका मॉझी वल्द वालुन मॉझी कौम सौताल के नाम से रैयती दर्ज है। अपीलार्थी खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते भूमि पर दावा करते है। विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत भूमि खरीदगी केवाला संख्या–2048, दिनांक–22.05.1946 के आधार पर दावा करते है। अपीलार्थी का कहना है कि विपक्षी मौजा–बन्दा के वासी नहीं है। मेरे पूर्वज के द्वारा भूमि बिक्री नहीं किया गया है	

उन्होने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा दिनांक–04.08.2022 के पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी का कहना है खतियानी रैयत कोका मांझी की पत्नी रूपनी देवी के द्वारा दरबारी मांझी को निबंधित केवाला दिनांक–22.05.1946 से भूमि हस्तांतरित कर दिया गया। जो पंजी–II के पेज नं०–21/06 पर दरबारी मांझी के नाम से दर्ज है, एवं बिगत 72 वर्षो से दखल कब्जा है इसलिए भू–वापसी आवेदन कालबाधित है। उन्होने अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। ओर दोनो पक्ष अनुसूचित जन जाति के सदस्य है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश यथावत् रखने की कृपा की जाय।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अंचल अधिकारी, गोला के प्रतिवेदन के अनुसार दोनो पक्ष अनुसूचित जन जाति के सदस्य है। विपक्षी को भूमि निबंधित केवाला दिनांक–22.05.1946 से प्राप्त है। एवं खतियानी रैयत लगभग 72 वर्षो से बेदखल है। अंचल अधिकारी, गोला के अनुसार मामला भू–वापसी का नही बनता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी संख्या–04/2018–19 सतेन्द्र सोरेन बनाम दशरथ मॉझी वगै० में दिनाक–04.08.2022 को पारित आदेश को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46–4(ए) के तहत पारित आदेश को यथावत् रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Madhvi Mishra
25.4.23
उपायुक्त,
रामगढ़।

Madhvi Mishra
25.4.23
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.05.23 11:26:39 +05:30
Location: 192.168.0.185